GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)

No. 2011/H /6-4/Policy

Dated: 03.02.2015

General Manager,
All Indian Railways,
New Delhi,

GM/CAO/DG
All Production Unit including RDSO

Sub: Standard Operating Procedure in outsourcing work of clinical investigations including pathological, radiological-MRI/CT Scan, PET Scan, Special investigations etc.

Ministry of Railways vide different letters have already delegated the powers to zones for outsourcing various pathological and radiological investigations such as CT/MRI/PET scan; special investigations etc. The upper financial limits for these investigations have also been laid down. However different practices are being adopted in different zones for outsourcing these activities. Without affecting the extant delegations and financial limits, the following guidelines may be kept in view while outsourcing these investigations:

1. The MD/CMS/CMO/ACMS In-charge shall be authorized to enter into MOU with the diagnostic centers in concurrence with the associate finance.
2. The MD/CMS/CMO/ACMS In-charge shall formulate the minimum qualifying criteria for empanelment, in a transparent manner, keeping in view the local conditions. An advertisement shall be published in the local newspapers, railway website, etc. inviting EOI from the diagnostic centers/hospitals for extending investigative facilities to railway patients on the CGHS rate list for that city/nearest city for which CGHS rate is available.
3. A team of three doctors shall be constituted by the MD/CMS/CMO/ACMS In-charge for inspection of all the centers which apply.
   Note: - The inspection of centers already empanelled by CGHS may be exempted at discretion of MD/CMS/CMO/ACMS In-charge.
4. All the centers which fulfill the pre-laid qualifying criteria (point no. 2) shall be empanelled with the concurrence of Finance.
5. The list of all the empanelled diagnostic centers shall be displayed at railway website.

6. Whenever a patient needs to be referred to an outside centre for investigation. list of empanelled diagnostic centers shall be provided to the patient/relatives whichever centre is preferred by the patient, railway shall refer the patient to th centre for that instance.
7. The rates to be paid by Railway to the centre shall be as per the CGHS rates; in case CGHS rate for a particular investigation is not available then AIIMS rate or any other government hospital rate shall be applicable. In case no government rate is available then reasonable rate as per mutual agreement between Railway and the center shall be payable.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

(Dr. Arun Gupta)
Dir. (H&FW)
Railway Board

Copy forwarded to:-

1. **CMDs, All Indian Railways.**
2. **CMOs, All Production Units including RDSO**
3. **FA&CAO, All Indian Railways including PUs & RDSO**
4. **Sr. Professor Health Management, NAIR, Vadodara**

(Dr. Arun Gupta)
Dir. (H&FW)
Railway Board

No. 2011/H /6-4/Policy **Dated: 03.02.2015**

Copy Forwarded to:-

1. **The Principal Director of Audit, All Indian Railways.**
2. **The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.**

For Financial Commissioner Railways

Copy to F(E) Spl Branch and Health-1 Branch, Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/एच/6-4/पॉलिसी   दिनांक 03.02.2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
नई दिल्ली.
महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/महानिदेशक
अ. अ. एवं मा. सं. सहित सभी उत्पादन इकाइयां

विषय : पैथोलोजिकल, रेडियोलोजिकल-एमआरआई/सीटी स्कैन, पीईटी स्कैन, स्पेशल जांच आदि सहित नैदानिक जांचों की आउटसोर्सिंग कार्य की मानक प्रक्रिया।

रेल मंत्रालय ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से विभिन्न पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल जाचों जैसे, सीटी/एमआरआई/पीईटी स्कैन, स्पेशल जांचों आदि को आउटसोर्स कराने के लिए जोनों को पहले ही शक्तियां प्रत्यायोजित की है। इन जांचों के लिए अधिकतम वित्तीय सीमा भी निर्धारित की गई है। बहरहाल, इन कार्यों को आउटसोर्स कराने के लिए अलग-अलग ज़ोनों में अलग-अलग कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है। इन जांचों को आउटसोर्स करते समय, मौजूदा प्रत्यायोजित शक्तियों और वित्तीय सीमाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाए:

1. चिकित्सा निदेशक/सीएमएस/सीएमओ/ प्रभारी एसीएमएस सह वित्त विभाग की सहमति से डायग्नोस्टिक केन्द्रों के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए प्राधिकृत होंगे।
2. चिकित्सा निदेशक/सीएमएस/सीएमओ/ प्रभारी एसीएमएस स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पैनल तैयार करने के लिए पारदर्शी तरीके से न्यूनतम अर्हता मानदंड तैयार करेंगे। उस शहर/नजदीकी शहर, जिसके लिए सीजीएचएस दर उपलब्ध हो, की सीजीएचएस दर सूची पर रेलवे के मरीजों को जांच संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए डायग्नोस्टिक केन्द्रों/अस्पतालों से रूची की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हुए स्थानीय समाचारपत्रों, रेलवे की वेबसाइट, आदि में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
3. चिकित्सा निदेशक/सीएमएस/सीएमओ/ प्रभारी एसीएमएस द्वारा तीन डॉक्टरों की एक टीम गठित की जाएगी जो आवेदन करने वाले सभी केन्द्रों का निरीक्षण करेगी।
   नोट:- सीजीएचएस द्वारा पहले से सूचीबद्ध केन्द्रों को चिकित्सा निदेशक/सीएमएस/सीएमओ/प्रभारी एसीएमएस के विवेक पर निरीक्षण से छूट दी जा सकती है।
4. उन सभी केन्द्रों, जो पूर्व-निर्धारित अर्हक मानदण्डों (मद सं. 2) पर खरा उतरते हैं, उन्हें वित्त विभाग की सहमति से पैनल में रखा जाएगा।
5. सभी पैनलबद्ध डायग्नोस्टिक केन्द्रों की सूची रेलवे की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

6. जब कभी किसी मरीज को जांच के लिए किसी बाहरी केन्द्र में रेफर करने की आवश्यकता होगी, तब मरीज/संबंधियों को पैनलबद्ध डायग्नोस्टिक केन्द्रों की सूची मुहैया कराई जाएगी और मरीज द्वारा जिस केन्द्र का चयन किया जाएगा, रेलवे उस मरीज को जांच के लिए उस डायग्नोस्टिक केन्द्र को रेफर करेगा।

7. डायग्नोस्टिक केन्द्र को रेलवे द्वारा भुगतान की जाने वाली दरें सीजीएचएस दरों के अनुसार होंगी; यदि किसी खास जांच के लिए सीजीएचएस दर उपलब्ध न हो तो एम्स की दर अथवा किसी अन्य सरकारी अस्पताल की दर लागू होगी। यदि कोई सरकारी दर उपलब्ध न हो तो रेलवे और उस केन्द्र के बीच आपसी सहमति के आधार पर उपयुक्त दर लागू की जाएगी।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(डॉ. अरूण गुप्ता)
निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपित प्रेषित :-

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अ. अ. एवं मा. सं. सहित सभी उत्पादन इकाइयां।
3. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उत्पादन इकाइयों एवं अ.अ. एवं मा. सं. सहित सभी भारतीय रेलें।
4. वरिष्ठ प्रोफेसर स्वास्थ्य प्रबंधन, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।

(डॉ. अरूण गुप्ता)
निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/एच/6-4/पॉलिसी **दिनांक०5 .02.2014**

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि वित्त (स्था.) विशेष और स्वास्थ्य-1 शाखा, रेलवे बोर्ड को प्रेषित